


छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग-टी
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर, 492002
-:आदेश:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/09/2022

क्रमांक एफ 1-56/2022/20-चारः राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:-

कं.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्थानांतरण का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री शरदेन्दु कुमार शुक्ल, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि. सिलफिली सूरजपुर जिला सूरजपुर	सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी सूरजपुर	प्रशासनिक
2	श्री शिव भजन सिंह, व्यायाम शिक्षक	सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी जिला सूरजपुर	संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालय संभाग सरगुजा	प्रशासनिक
3	श्री कमलेश चन्द्राकर, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि. काडरो, वि.ख. पत्थलगांव, जिला जशपुर	शा.उ.मा.वि. अकलवारा वि.ख. छुरा जिला गरियाबंद	ऐच्छिक
4	श्री प्रफुल सालोमन तिग्गा, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि. भरतपुर जिला कोरिया	शा.उ.मा.वि. सलका वि. ख. बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	ऐच्छिक
5	श्री राजेश कुमार फ्रेंकलीन, व्यायाम शिक्षक	शा.(आ.जा.क.) उ.मा.वि. नाणपुर, कोरिया	शा.उ.मा.वि. बकसाही वि.ख. पाली जिला कोरबा	प्रशासनिक
6	श्री सूरज कुमार, व्यायाम शिक्षक	शा0उ0मा0वि0 कोटाडोल वि0ख0 भरतपुर जिला कोरिया	शा.उ.मा.वि. सुन्दरपुर वि.ख. सोनहत जिला कोरिया	ऐच्छिक
7	श्री दीपक टोप्पो, व्यायाम शिक्षक	शा.क.उ.मा.वि. सीतापुर, वि. ख. सीतापुर, जिला सरगुजा	शा.बालक उ.मा.वि. दरिमा वि.ख. अंबिकापुर जिला सरगुजा	ऐच्छिक
8	श्री देवेन्द्र कृष्ण गुरुद्वान, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि. मुनगाडीह वि.ख. पाली जिला कोरबा	ऐच्छिक
9	श्री अनिल कुमार दहिवेले, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि. भानबेड़, वि. ख. भानुप्रतापपुर जि. कांकेर	शा.बालक उ.मा.वि. गरांजी वि.ख. नारायणपुर जिला नारायणपुर	प्रशासनिक
10	श्री गौरीशंकर जायसवाल, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि.मोरगा वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा	शा.कन्या उ.मा.वि. कटघोरा वि.ख. कटघोरा जिला कोरबा	ऐच्छिक
11	श्रीमती ममता दधिची, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि.देवभोग जिला गरियाबंद	शा.उ.मा.वि. कोपरा कला वि.ख. फिंगेश्वर जिला गरियाबंद	ऐच्छिक



12	श्रीमती दुर्गा बाई मसीहा व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि.लोहत्तर विकास खण्ड दुर्गकोंदल जिला उत्तर बस्तर कांकेर	शा.उ.मा.वि. मचांदुर वि. ख. अं.चौकी जिला मो.मा. अं.चौकी	प्रशासनिक
13	श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, व्यायाम शिक्षक	शा.उ.मा.वि. सरगबुंदिया वि.ख. करतला जिला कोरबा	शा.उ.मा.वि.मोरगा वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा	प्रशासनिक

2/- उपरोक्त स्थानांतरित शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3/- उपरोक्त स्थानांतरित शिक्षक में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल में पदस्थ न हों/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित हों, तो यह स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावेगा।

4/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए।

5/ ई-संवर्ग से टी-संवर्ग एवं टी-संवर्ग से ई-संवर्ग में किये गए स्थानांतरण शून्य माना जावेगा अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे।

6/ ऐसे स्थानांतरित शिक्षक जो परिवीक्षाधीन है उन शिक्षकों का स्थानांतरण शून्य माना जावेगा अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे।

7/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 में निहित प्रावधानों के विपरीत यदि कोई स्थानांतरण किया गया हो तो उक्त स्थानांतरण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

8/ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किये नहीं किये जायेंगे।


9/ उपरोक्त स्थानांतरण में यदि किसी अतिथि शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया हो तो वह स्थानांतरण शून्य माना जावेगा अर्थात् उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगा।

10/ जारी उक्त स्थानांतरण सूची में यदि किसी कर्मचारी का नाम स्थानांतरण हेतु पुनरावृत्ति हुई हो तो जारी सूची के प्रथम स्थान को ही मान्य किया जावेगा।

11/ संबंधित कर्मचारी उक्त स्थानांतरण आदेश से व्यथित हो, तो जारी आदेश तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिव समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

12/- यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी , छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर।
 2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 3. प्रबंध संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर।
 4. संयुक्त संचालक, संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय(छ.ग.)
 5. संबंधित कलेक्टर, जिला-....., (छ.ग.)
 6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला -....., (छ.ग.)
 7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-....., (छ.ग.)
 8. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,(छ.ग.)
 9. संबंधित प्राचार्य,..... (छ.ग.)
 10. संबंधित श्री / श्रीमती
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग